अनुदान संख्या 43 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*50,00*	*15,79*	*-34,21*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*25,40*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	3250,84,00	3258,34,00	3193,50,67	-64,83,33
पूरक	Supplementary	7,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24,96,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		127,55,00	47,33,59	-80,21,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,59,03

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में *₹10.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष “2037” -“सीमा शुल्क” के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6483.33 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹750.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹10.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head “2037” - “Customs”.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6483.33 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹750.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2037”	Major Head “2037”				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	98291.00			
पू.	S.	306.00	97710.11	96254.23	-1455.88
पु.	R.	-886.89			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"					
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties					
मू.	O.	226193.00				
पू.	S.	444.00		225097.39	222700.28	-2397.11
पु.	R.	-1539.61				
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"					
आवास	Housing					
मू.	O.	600.00				
				530.00	396.16	-133.84
पु.	R.	-70.00				

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" -

(क) "राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य बंदरगाह" - ₹31407.30 लाख के मूल प्रावधान को ₹147.82 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹31555.12 लाख कर दिया गया, तथापि, ₹2109.71 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यालय संबंधी मदों की कम खरीद किए जाने, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन से संबंधित किराया संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, पुरस्कार के कम मामले मंजूर किए जाने, कम घरेलू/विदेश दौरे किए जाने और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पूरा न होने के कारण हुई।

(ख) "निवारक और अन्य कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य बंदरगाह" - ₹55049.55 लाख के मूल प्रावधान को ₹57.18 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹55106.73 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹149.75 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम पुरस्कार मंजूर किए जाने और मजदूरी और मशीनरी एवं

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2037"-

(a) "Revenue-Cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs – Major Ports" – the original provision of ₹31407.30 lakhs was augmented to ₹31555.12 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹147.82 lakhs. However, there was a saving of ₹2109.71 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less purchase of office related items, non-finalisation of rent revision proposal in respect of hired office building, sanction of less awards cases, less domestic/foreign tours undertaken and non completion of Local Area Network.

(b) "Preventive and Other Functions - Sea Customs - Major Ports" – the original provision of ₹55049.55 lakhs was augmented to ₹55106.73 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹57.18 lakhs. However, there was a saving of ₹149.75 lakhs (including

उपस्कर, फर्नीचर और कार्यालय मदों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "निरीक्षण" - ₹3183.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9.05 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3192.05 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹17.50 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम घरेलू दौरे किए जाने और फर्नीचर और कार्यालय मदों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय" - ₹3073.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹227.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3300.00 लाख कर दिया गया, तथापि, ₹312.36 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(iii) "संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय" - ₹193449.20 लाख के मूल प्रावधान को ₹52.49 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹193501.69 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2748.81 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने, पुरस्कार कम मंजूर किए जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम घरेलू दौरे किए जाने, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराया संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और कम्प्यूटर और संबंधित मदों, उपस्करों और फर्नीचर की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(II) मुख्य शीर्ष "2037" - "राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" - ₹328.49

supplementary grant) - due to receipt of less medical claims, less sanction of rewards and requirement of less funds towards wages and purchase of machinery and equipments, furniture and office items.

(B) Major Head "2038"-

(a) "Direction and Administration"-

(i) "Inspection" - the original provision of ₹3183.00 lakhs was augmented to ₹3192.05 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9.05 lakhs. However, there was a saving of ₹17.50 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less domestic tours undertaken and requirement of less funds towards furniture and office items.

(ii) "Directorate General of Central Excise Intelligence" – the original provision of ₹3073.00 lakhs was augmented to ₹3300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹227.00 lakhs. However, there was a saving of ₹312.36 lakhs (including supplementary grant); and

(iii) "Collection Charges - Commissionerates" - the original provision of ₹193449.20 lakhs was augmented to ₹193501.69 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹52.49 lakhs. However, there was a saving of ₹2748.81 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less sanction of rewards, receipt of less medical claims, less domestic tours undertaken, non- finalisation of proposals for rent revision in respect of hired office building and requirement of less funds towards purchase of computers and related items, equipments and furniture.

(II) Under Major Head "2037" - "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Central

लाख की बचत (₹846.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला के लिए उपस्करों की खरीद में विलंब होने और मशीन एवं उपस्करों के रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2038" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निदेशन और प्रशासन"–

(क) "सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग" - ₹103.93 लाख की बचत (₹965.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किराए पर लिए गए कार्यालय भवनों के किराया संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन" - ₹389.63 लाख की बचत (₹13514.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, घरेलू दौर कम किए जाने, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के किराया संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और मजदूरी और कार्यालय फर्नीचर और उपस्करों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "भूमि सीमा शुल्क संग्रहण" - ₹260.17 लाख की बचत (₹0.46 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1892.46 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य मदें" - ₹124.89 लाख की बचत (₹656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय परिसर के नवीनीकरण और भवनों के रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2216" - "अन्य भवन - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" के अंतर्गत ₹203.84 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागीय आवासीय भवनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कम मांग होने के कारण हुई।

Revenues Control Laboratory" - saving of ₹328.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹846.65 lakhs) was due to delay in purchase of equipments for laboratories and requirement of less funds towards maintenance of machinery and equipments.

(III) Under Major Head "2038" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration"-

(a) "Customs and Central Excise Settlement Commission"- saving of ₹103.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹965.60 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals for rent revision in respect of hired office buildings.

(b) "Systems and Data Management"- saving of ₹389.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13514.60 lakhs) was due to receipt of less medical claims, less domestic tours undertaken, non-finalisation of proposals for rent revision in respect of hired office building and requirement of less funds towards wages and purchase of office furniture and equipments.

(B) "Other Expenditure"-

(a) "Collection of Land Customs" - saving of ₹260.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1892.46 lakhs including token supplementary grant of ₹0.46 lakh) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Other Items"- saving of ₹124.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹656.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards renovation of office premises and maintenance of buildings.

(IV) Under Major Head "2216" - "Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure"- saving of ₹203.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to less demand for maintenance and repair of departmental residential buildings.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹432.18 लाख) हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2038" - "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी" के अंतर्गत ₹444.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, 171.23 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹432.18 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹444.00 lakhs under Major Head "2038" - "Direction and Administration - National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)". Actual excess, however, was ₹171.23 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - राजस्व आसूचना निदेशालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹406.84 लाख का अधिक व्यय (₹61.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5394.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे जाने और पुरस्कार मामलों, विधायी मामलों और कार्यालय उपस्करों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2037"- "Preventive and Other Functions - Directorate of Revenue Intelligence" – excess of ₹406.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5394.10 lakhs including supplementary grant of ₹61.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards rewards cases, legal matters and purchase of office equipments.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	8355.00	5515.40	4652.21	-863.19
पु.	R.	-2839.60			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	4000.00	170.00	..	-170.00
पु.	R.	-3830.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	400.00	10.57	81.38	+70.81
पु.	R.	-389.43			

(I) ₹4005.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹4000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम को स्टाम्प शुल्क के मामले का निपटारा न किए जाने और एनबीसीसी प्लाजा, साकेत के कार्यालय भवन, मुंबई में यूटीआई भवन के खरीद के मामले में लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने और गुवाहाटी में कार्यालय आवास की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4005.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹4000.00 lakhs alone accounted for under Major head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready built Accommodation" - due to non-settlement of issue of stamp duty to Municipal Corporation of Delhi and conversion of leasehold to free-hold in the case of purchase of office building of NBCC Plaza, Saket, UTI building at Mumbai and non- finalisation of the proposal for purchase of office accommodation at Guwahati.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य " के अंतर्गत ₹3697.79 लाख की बचत (₹8350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्री पोतों की आपूर्ति के लिए नाव पूर्तिकर्ता द्वारा संविदात्मक देयताओं को पूरा न किए जाने, 4 एक्सिस कंटेनर स्कैनरों की खरीद के समझौते को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और सीमा चौकी पर प्री फैबरीकेटिड परिसरों का निर्माण किए जाने के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive and other Functions" - saving of ₹3697.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 8350.00 lakhs) was due to non fulfillment of contractual obligations by the boat suppliers for supply of marine vessels, delay in finalisation of the agreement for purchase of 4 axis container scanners and non-finalisation of the proposals for construction of pre-fabricated premises at border check post.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" - ₹318.62 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद संबंधी प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees – Acquisition of Ready built flats" –saving of ₹318.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non- materialisation of proposal for purchase of residential accommodation.